कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत ।

संख्या–   /सात–प0भ0 विज्ञप्ति/2015–16,   दिनांक 10 अक्टूबर, 2015

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,
चम्पावत ।

विषय– **पटवारी भर्ती 2015–16 की विज्ञप्ति जिलाधिकारी चम्पावत की बेवसाइड पर अपलोड करने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अवगत करना है कि उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या– 1381/XVIII(1) /2015-04/ 2007 दिनांक 24 सितम्बर, 2015 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर, जनपद चम्पावत में राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) के रिक्त 21 पदों पर राजस्व उपनिरीक्षक(पटवारी) प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु चयन किया जाना है। जिस हेतु शासनादेश में दिये गये प्रारूप पर संलग्नानुसार स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराये जाने हेतु विज्ञप्ति एवं विस्तृत विवरण तैयार किया गया है, जिसे जनहित में सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी चम्पावत की बेवसाइड **www.champawat.nic.in** पर अपलोड किया जाना है।

अतः उक्त विज्ञप्ति को उक्त वेवसाइड में तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक – विज्ञप्ति उपरोक्तानुसार ।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
जिलाधिकारी चम्पावत ।

कार्यालय जिलाधिकारी जनपद –चम्पावत।

विज्ञाप्ति

विज्ञप्ति संख्या– 01/प0–भ0(भूलेख)/चम्पावत/2015, दिनॉक 08 अक्टूबर, 2015

उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या– 1381/XVIII(1) /2015-04/ 2007 दिनांक 24 सितम्बर, 2015 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर, जनपद चम्पावत में राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) के रिक्त 21 पदों पर राजस्व उपनिरीक्षक(पटवारी) प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु चयन किया जाना है। **चयन हेतु संलग्न निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 10 नवम्बर, 2015 के अपराहन् 5:00 बजे तक** निम्न अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों केवल पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी) प्रशिक्षण हेतु सीधी भर्ती के लिए चयन हेतु अर्हतायें:–

1– अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या

2– **आयु** :– राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) प्रशिक्षण हेतु सीधी भर्ती से चयन के लिये अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2015 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक न हो ।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनु0जातियों/अनु0जन जातियों के अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट, अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 05 वर्ष की छूट तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये अधिकतम आयु में उतनी ही छूट होगी जैसे कि विहित किया जाय ।

3–**शैक्षिक योग्यता** :– राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी) प्रशिक्षण हेतु सीधी भर्ती से चयन के लिए अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी आवश्यक है।

4– सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी का नाम प्रदेश के किसी भी जनपद के सेवायोजन कार्यालय में विज्ञप्ति प्रकाशित होने से पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है अन्यथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा। (पंजीयन कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना भी आवश्यक हो)

5– शारीरिक मानक/दक्षता :–

(क) पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उँचाई 168 सेमी0 एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेमी0 होनी आवश्यक है। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी0 तक की छूट अनुमन्य होगी। पुरूष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेमी0, जिसमें न्यूनतम 5 सेमी0 का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों के लिए 5 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन 45 किग्रा0 होना चाहिए।

(ख) पुरूष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किमी0 एवं महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 5 किमी0 की दौड पूरी करनी होगी।

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

6– **अधिमानी अर्हता** :– सीधी भर्ती के पदों पर जिन अभ्यर्थियों का संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन हुआ है, में अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती हेतु विहित प्रशिक्षण के लिए अधिमान दिया जायेगा, जिसने :–

(क) प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो।

(ख) नेशनल कैडेट कोर का "बी0" या "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

7– **चरित्र**:– सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती से विहित प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए , जिससे वह सरकारी सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हो।

8– **वैवाहिक प्रस्थिति** :– पुरूष जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों, अथवा ऐसी महिला, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

9– **शारीरिक योग्यता** :– किसी भी ऐसे व्यक्ति को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं हैं, जिसके कारण उसके अपने राजकीय कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो, किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

10. राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी) प्रशिक्षण के लिए चयन हेतु रिक्तियों का विवरण :–

अनुसूचित जाति				अनुसूचित जन जाति				अन्य पिछडा वर्ग				अनारक्षित				योग
कुल पद	महिला	स्व0सं0से0	भू0पू0 सै0	कुल पद	महिला	स्व0सं0से0	भू0पू0 सै0	कुल पद	महिला	स्व0सं0से	भू0पू0 सै0	कुल पद	महिला	स्व0सं0से0	भू0पू0 सै0	
04	01	—	—	01	—	—	—	03	01	—	—	13	04	—	01	21

11– परीक्षा हेतु आवेदन शुल्क :– अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रू0 150.00 तथा सामान्य जाति एवं अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रू0 300.00 का बैंक ड्राफ्ट/ पोस्टल आर्डर, जो जिलाधिकारी चम्पावत के नाम देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

12–उत्तराखण्ड राजस्व उपनिरीक्षक(पटवारी) के रिक्त पद के लिये प्रशिक्षण के लिए चयन हेतु परीक्षा के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप निम्न प्रकार है:–

आवेदन पत्र

विज्ञप्ति संख्या– 01/प0–भ0(भूलेख)/चम्पावत, दिनांक – 8.10.2015

(आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि 10 नवम्बर, 2015)

पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

1. आवेदित पद का नाम –..
   (उम्मीदवार स्वयं लिखें)

2. आवेदक का नाम – (हिन्दी में)..
   (अंग्रेजी में)...

3. पिता का नाम– (हिन्दी में)...
   (अंग्रेजी में)...

4.निवास स्थान– ....
....
....

5. (क) जन्म तिथि– ....(अंकों में) ....(शब्दों में) ....

   (ख) दिनांक 01 जुलाई, 2015 को आयु.................. वर्ष...........माह...............दिन.......................

6. मूल एवं स्थाई निवास– ग्राम..पोस्ट..............................पटवारी क्षेत्र...................तहसील.. ....जनपद...

7. पत्र व्यवहार का पता(पिन कोड सहित)– ग्राम..पोस्ट..............................पटवारी क्षेत्र...................तहसील...............................जनपद...

8. सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन संख्या...........................दिनांक..........................सेवायोजन कार्यालय का नाम............... ....

9. शैक्षिक योग्यता–

कम संख्या	संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
1. हाई स्कूल						
2.. इण्टरमीडिएट						
3. स्नातक						
4. अन्य						

10. अभ्यर्थी यदि कोई अधिमानी अर्हता धारित करता है ? – हॉ/नहीं ।

11. अन्य विवरण / अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो सत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करें)........................
12. अभ्यर्थी की श्रेणी– आरक्षित / अनारक्षित ....
13. जाति– अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अन्य..
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
14. हॉरिजन्टेल आरक्षण–...
महिला / भूतपूर्व सैनिक / विकलांग व्यक्ति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित
15. यदि अभ्यर्थी किसी सरकारी विभाग में सेवारत हो तो सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष / सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित कराया जाना अनिवार्य होगा । सक्षम अधिकारी का इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेग कि चयनोपरान्त अवमुक्त करने में कोई कठिनाई एवं विधिक आपत्ति नहीं होगी ।

पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

16. आवदेन शुल्क.................... बैंक ड्राफ्ट / पोस्टल ऑर्डर संख्या.................... दिनांक ....
.............धनराशि..
17. (A)राष्ट्रीय खेलों में दक्षता प्राप्त–
(क) राष्ट्रीय स्तर (ख) राज्य स्तर (ग) जिला स्तर–..
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
(B) क्या शारीरिक दक्षता / शारीरिक मानकों में छूट चाहते हैं ? – हॉ / नहीं
(पर्वतीय क्षेत्र का निवासी होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
18. अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित स्थानों पर एवं घोषणा में यथास्थान हस्ताक्षर न किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा।

दिनॉक..
स्थान–..

हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)

घोषणा

उपरोक्त आवेदन पत्र में अंकित समस्त सूचनाएं मेरी जानकारी एवं विश्वास से सही एवं सत्य हैं। यदि आवेदन के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि अस्पष्ट अपूर्ण भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण होने अथवा असत्य पाये जाने की दशा में मुझे चयन प्रकिया से वंचित किया जायेगा, तो इस सम्बन्ध में मेरा कोई प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा तथा मेरा अभ्यर्थन त्रुटिपूर्ण सूचना दिये जाने के कारण निरस्त किये जाने पर सक्षम न्यायालय द्वारा भी दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी ।

दिनांक...
स्थान ....

हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)

प्रवेश पत्र

अनुक्रमांक....................

श्री...............................पुत्र श्री...निवासी ग्राम

....................................पटवारी क्षेत्र......................................तहसील..................

जिला..............................उत्तराखण्ड को दिनांक 27 दिसम्बर, 2015 को

पूर्वाहन् 10:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक परीक्षा केन्द............................

में पटवारी के रिक्त पदों के प्रशिक्षण हेतु सम्पन्न होने वाली प्रतियोगितात्मक

परीक्षा में सम्मिलित होने की एत्दद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

हस्ताक्षर
जिलाधिकारी

सीधी भर्ती से चयन परीक्षा हेतु आवेदन की प्रकिया

1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में , **विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 10 नवम्बर, 2015 के सायं 5.00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे।** उक्त तिथि व समय से पूर्व तथा पश्चात प्राप्त होने वाले आवदेन निरस्त समझे जायेंगे ।

2. आवेदन पत्र के साथ रू0 5.00 के टिकट लगे हुए आवेदक के स्वयं के पते लिखे हुए तीन लिफाफे तथा एक पोस्टकार्ड संलग्न करना आवश्यक है।

3. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थानों पर नवीनतम पासपोर्ट साईज के फोटो चस्पा किये जायं, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जमा करने वाले लिफाफे के ऊपर **विज्ञापन संख्या तथा राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) पद के प्रशिक्षण के लिए चयन हेतु आवेदन पत्र** अवश्य लिखा हो।

5. **अभ्यर्थी केवल एक ही पद एवं एक ही जनपद में आवेदन कर सकेगा।**

6. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन शुल्क के रूप में आवेदन पत्र के साथ रू0 150.00 तथा सामान्य जाति एवं अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रू0 300.00 का बैंक ड्राफ्ट/ पोस्टल आर्डर, जो जिलाधिकारी चम्पावत के नाम देय हो, संलग्न हो।

7. आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।

8. आवेदन पत्र के साथ समस्त पुष्टिकारक प्रमाण पत्रों यथा–शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक के सत्यापित प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकाएं, निर्धारित प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र, सेवायोजन पंजीकरण प्रमाण पत्र, सेवायोजक द्वारा आवेदन पत्र यथा स्थान पर अग्रसारित, अधिमानी अर्हता यदि कोई हो तो उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि, आवेदन शुल्क सम्बन्धी बैक ड्राफ्ट/ पोस्टल ऑर्डर एवं अतिरिक्त लिफाफे, पोस्टकार्ड संलग्न कर आवेदन पत्र **दिनांक 10 नवम्बर, 2015 को अपराहन् 5:00 बजे तक** केवल पंजीकृत डाक से जिलाधिकारी चम्पावत के कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

9. एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र पाये जाने पर सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे ।

10. अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की दशा में अभ्यर्थी से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा।

11– अभ्यर्थी एक ही जनपद से आवेदन कर सकेगा।

12– जनपद में वर्तमान में लेखपाल पद पर भर्ती हेतु कोई रिक्तियॉ नहीं हैं। आवेदक मात्र राजस्व उपनिरीक्षक(पटवारी) पद के लिए ही आवेदन करें। लेखपाल पद के लिए प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा, और इस सम्बन्ध में किसी का कोई दावा ग्राह्य नहीं होगा।

नोट :– पाठ्यकम एवं अन्य विस्तृत जानकारी के लिये जिलाधिकारी कार्यालय चम्पावत की वेबसाइड www.champawat.nic.in पर लॉग ऑन करें ।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
जिलाधिकारी चम्पावत।

पटवारी तथा लेखपाल प्रशिक्षण चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिये निर्देश

1. उक्त पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये हाईस्कूल तथा अन्य समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी । आवेदक द्वारा जन्मतिथि की पुष्टि हेतु हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

2. अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण, अस्पष्ट, भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं है, समयान्तर्गत प्राप्त होने के बावजूद भी अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिये जिलाधिकारी कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा तथा अन्तिम तिथि को निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

3. अभ्यर्थी का प्रदेश के किसी भी जनपद के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पूर्व होना आवश्यक है । भूतपूर्व सैनिकों का नाम प्रदेश के किसी भी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है । राजकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी को सेवायोजक विभाग से आवेदन पत्र यथा–स्थान पर अग्रसारित करवाना तथा विभाग का अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

4. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात जांच में अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक प्रविष्टियों प्रथम दृष्ट्या निरस्त किये जायेंगे ।

5. राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) तथा (लेखपाल) के प्रशिक्षण हेतु चयन परीक्षा दो चरणों में शरीरिक दक्षता एवं लिखित परीक्षा के रूप में आहूत की जायेगी । शारीरिक मानकों में सफल होने पर ही शारीरिक दक्षता परीक्षा मात्र क्वालीफाइंग होगी।

6. शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनॉक 15 दिसम्बर से 20 दिसम्बर 2015 के मध्य ली जायेगी, जिसके लिए परीक्षा स्थल एवं समय के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को यथा समय उचित माध्यम से पृथक से सूचित किया जायेगा।

7. शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानकों में सफल अभ्यर्थी ही , लिखित परीक्षा में भाग ले सकेंगे। लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में दिये गये प्रारूप पर प्रवेश पत्र यथा समय जारी किये जायेंगे।

8. लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय 200 अंको की होगी, जिसमें 200 प्रश्न होंगे जिसमें ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जायेगी । परीक्षा का समय 3.00 घण्टे है। उम्मींदवार द्वारा दिये गये प्रत्येक गलत उत्तर के लिए या उम्मींदवार द्वारा एक प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो) उस प्रश्न के लिए दिये जाने वाले अंकों का एक चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर एक वृत्त को ही पूरी तरह **नीले/काले बॉल पेन** से भरें। एक बार उत्तर अंकित करने के बाद उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

9. लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) प्रशिक्षण के लिये चयन के पात्र होंगे। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण के लिए चयन हेतु **कोई साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।**

10. परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1381/XVIII(1)/2015–04/2007, दिनॉक 24 सितम्बर, 2015 में निर्धारित निम्न समय सारणी के अनुसार होगा:–

कम संख्या	विषय	निर्धारित तिथि
1	जनपदों द्वारा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	05 अक्टूबर, 2015 से 10 अक्टूबर, 2015
2	आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	10 नवम्बर, 2015
3	प्राप्त आवेदनों की सन्निरीक्षा की अवधि	11 नवम्बर , 2015 से 20 नवम्बर, 2015 तक
4	प्रवेश पत्र निर्गत करने की अन्तिम तिथि	30 नवम्बर, 2015
5	शारीरिक दक्षता परीक्षण अवधि	15 दिसम्बर, 2015 से 20 दिसम्बर, 2015 तक
6	निर्धारित शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानकों में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की तिथि	27 दिसम्बर, 2015 (परीक्षा का समय पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक)
7	परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	15 जनवरी, 2016
8	सफल घोषित अभ्यर्थियों के स्वस्थता प्रमाण पत्र, व उनके समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन	15 फरवरी, 2016
9	प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि	01 मार्च, 2016

11. उक्त परीक्षा हेतु निम्नवत पाठ्यक्रम निर्धारित है:–

(अ) साामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, इण्टरनेट, भारत का इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, भारतीय राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल एवं जनांकिकी, लोक प्रशासन, उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकी, उत्तराखण्ड का आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश, उत्तराखण्ड के आर्थिक व प्राकृतिक संशाधन, राष्ट्रीय एवं समसामयिक घटनायें, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कीडा एवं खेलकूद से सम्बन्धित प्रश्न, उत्तराखण्ड राज्य का इतिहास, एतिहासिक, पौराणिक एवं पुरातत्व से सम्बन्धित स्थल, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल एवं घटनायें, लोक साहित्य, परम्परायें, रीति–रिवाज, वेश–भूषा, मेले एवं त्यौहार, लोक गायन, लोक नृत्य, वाद्य यन्त्र आदि (100 प्रश्न)

(ब) सामान्य बुद्धिमत्ता से सम्बन्धित शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे, उसमें सादृश्यों, समानताओं तथा अन्तरों स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बन्ध अवधारण, श्रृंखला, अंकगणितीय गणना, सांख्यिकीय आलेखों एवं रेखाचित्रों के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालना व उनका निर्वचन करना तथा अन्य विश्लेषण कार्य से सम्बन्धित प्रश्न आदि। (50 प्रश्न)

(स) प्रदेश की प्रचलित भाषायें व बोलियों से सम्बन्धित शब्दावली, हिन्दी भाषा के मुहावरे, वर्तनी, लोकोक्तियॉ, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि विग्रह, अलंकार, समास, प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली। (50 प्रश्न)

11. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश पत्र एवं दो पैन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की पेंसिल, पाठ्य सामग्री मुद्रित या कागज की प्रतियां, पेजर, मोबाईल, कैलकुलेटर, टैबलेट एवं अन्य आधुनिकतम इलैक्ट्रोनिक उपकरण या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी ।

12. अनुचित साधनों के प्रयोग एवं परीक्षा भवन में दुराचरण के लिये कठोर दण्ड दिया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन भी निरस्त कर दिया जायेगा।

13. परीक्षार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर पत्रक को मोडा नहीं जायेगा और उस पर कोई अन्य निशान लगाये नहीं जायेंगे। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमॉक तथा केन्द्र का नाम एवं अन्य प्रविष्टियॉ उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।

14. परीक्षा प्रश्न पुस्तिका (बुकलेट) एवं उत्तर पत्रक का ध्यानपूर्वक प्रयोग करें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में (केवल परीक्षा प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक की संख्या में भिन्नता की स्थिति को छोडकर) दूसरी उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

15. शारीरिक दक्षता/शारीरिक मानकों का परीक्षण एवं लिखित परीक्षा का आयोजन उक्त शासनादेश द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

16. चयन परीक्षा की प्रकिया के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

17. परीक्षा उपरान्त उत्तर पत्रक की एक प्रति अभ्यर्थी को दे दी जायेगी। परीक्षा के उपरान्त उत्तरमाला जिलाधिकारी कार्यालय की वेवसाइट पर पारदर्शिता के दृष्टिगत अपलोड कर दी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में संशय होने पर सही उत्तर की पुष्टि में अभिलेखों सहित जिलाधिकारी कार्यालय में आपत्ति दर्ज की जायेगी। सही उत्तर के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। उत्तरमाला वेवसाइट पर केवल एक सप्ताह के लिए डिस्प्ले की जायेगी।

18. अभ्यर्थी का चयन होने पर पटवारी प्रशिक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में एक वर्ष का प्रशिक्षण स्वयं के व्यय पर प्राप्त करना होगा ।

19. चयन परीक्षा की प्रकिया के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
जिलाधिकारी चम्पावत ।

संख्या: 90 /सात – भूलेख / प०भ० / 2015-16 दिनांक 08 अक्टूबर, 2015

प्रतिलिपिः– निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग–1, देहरादून।

2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।

3– आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

4– मुख्य विकास अधिकारी (सदस्य चयन समिति) चम्पावत।

5– पुलिस अधीक्षक चम्पावत।

6– जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत।

7– जिला कीडा अधिकारी चम्पावत।

8– जिला सूचना अधिकारी चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों अमर उजाला, दैनिक जागरण, के समस्त संस्करणों में जनहित में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

9– समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार /खण्ड विकास अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका /नगर पंचायत जनपद चम्पावत को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया विज्ञप्ति अपने क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराते हुए एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराने का कष्ट करें।

10– नोटिस बोर्ड, जिला कार्यालय चम्पावत।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
जिलाधिकारी चम्पावत।